न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : अभिषेक गोयल, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 1042/2018 **प्रार्थना पत्र**

धुला पिता उदाजी, जाति डांगी आयु 60 वर्ष निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री उंकार पिता भुराजी, जाति डांगी आयु 38 वर्ष निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्री शांतिलाल पिता भुराजी, जाति डांगी आयु 30 वर्ष निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्री धर्मा पिता भुराजी, जाति डांगी आयु 35 वर्ष निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती डाली बाई पत्नी भुराजी, जाति डांगी आयु 60 वर्ष निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. श्री गणेश पिता उदाजी, जाति डांगी आयु 58 वर्ष निवासी मजेरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. उपपंजीयक महोदय, देलवाडा जिला राजसमन्द।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता प्रार्थी।
पेरोकार सरकार उपस्थित, अप्रार्थीगण सं. 6, 7।

: : आदेश : :

दिनांक :—05.02.2020

प्रार्थीगण की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश करने के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थी की ओर से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत इस आशय का पेश किया गया कि परिशिष्ठ 'अ' मे वर्णित राजस्व ग्राम मजेरा, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2071—74 के खाता सं. 86 की आराजी सं. 337, 338, 341, 348, 349, 753, 756, 899, 1028, 1029, 1088, 1089, 1144, 1188, 1191, 1192, 1214 एवं 1216 कुल आराजी किता 18 कुल रकबा 4—10 बीघा स्थित एवं परिशिष्ठ 'ब' मे वर्णित खाता सं. 85 की आराजी सं. 328 एवं 1145 कुल आराजी

किता 2 कुल रकबा 03–06 बीघा स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

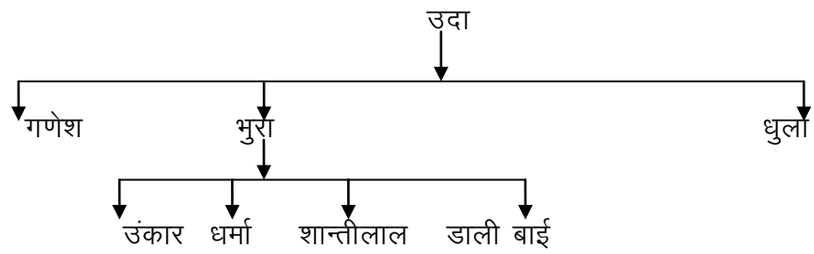

उक्त परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' मे वर्णित कृषि भूमिया प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की है जिसमे प्रार्थी का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात सामलाती होने के कारण प्रार्थी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग नही कर पाता है एवं प्रार्थी को राजस्व एवं सरकारी योजनाओ का फायदा प्राप्त करने मे लगान ईत्यादि मे परेशानी उत्पन्न होती है एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 आये दिन प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त में भी दखलअंदाजी उत्पन्न करते है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमिया अविभाजित होकर संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत रूप से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नही होने के कारण बिना विभाजन कराये विपक्षी सं. 1 एवं 2 उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो को प्रार्थी के काबिज हक व हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की धमकी देते है और आये दिन प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि मे दखलअंदाजी उत्पन्न करते है इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 6 उपपंजीयक देलवाडा उक्त कृषि भूमियो का पंजीयन करने को तत्पर है इसलिये इनके विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है एवं अप्रार्थी सं. 7 भूमिधारी होने से इन्हे पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई प्रतिकार नही चाहा है। अतः प्रार्थना है कि परिशिष्ट अ एवं ब मे वर्णित कृषि भूमियो का विधिवत रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन नही हो जाये तब तक अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से किसी को भी हस्तान्तरण नही करे तथा दौराने प्रार्थना पत्र यदि अप्रार्थीगण ऐसा कर दे तो स्थिति पुनः यथावत अप्रार्थीगण के व्यय से कराई जावे। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे राजस्व ग्राम मजेरा, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता सं. 86 की कुल आराजी किता 18 कुल रकबा 4–10 बीघा एवं खाता सं. 85 की कुल आराजी किता 2 कुल रकबा 3–06 बीघा पेश की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी सं. 6 से 7 की ओर से पेराकार सरकार उपस्थित जवाब पेश नही करने पर इनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण

वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन होने तक हस्तान्तरण नही करे। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं (1.) प्रथम दृष्टया मामला, (2.) सुविधा का संतुलन एवं (3.) अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना होता है।

उक्त विचाराधीन बिन्दुओ के संबंध मे न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्नानुसार हैः—

(1.) <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम मजेरा, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2071—74 के खाता सं. 86 की कुल आराजी किता 18 कुल रकबा 4—10 बीघा एवं खाता सं. 85 की कुल आराजी किता 2 कुल रकबा 3—06 बीघा से जाहिर है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 5 का 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की सीमा तक वादग्रस्त भूमि के सहस्वामी है और अपने हिस्से को विक्रय करने के हकदार है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया यह बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

(2.) <u>सुविधा का सन्तुलन एवं (3.) अपूरणीय क्षति</u> :—उक्त दोनो ही बिन्दु मिले जुले तथ्यो से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रार्थी प्रथम दृष्टया का बिन्दु ही अपने पक्ष मे साबित नही कर पाया है फिर भी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा अप्रार्थीगण को ही कारित होगी क्योकि वे अपने मालिकाना हक की संपत्ति का ही अंतरण नही कर पाएगें उपरोक्तनुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दोनो ही बिन्दु ही प्रार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते है।

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति सहित तीनो ही बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहा है। लिहाजा प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

<u>आदेश</u>

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा आ0 39 नि0 1 व 2 तथा 151 जा.दी. **अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है। उपरोक्त मंतव्य का मूल वाद के विवेचन पर कोई विपरीत प्रभाव नही समझा जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **10.02.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2020.03.03 16:47:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: